

डजिटल सेवा अधिनियम (DSA): EU

प्रलिस के लयः

यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU), डजिटल सेवा अधिनियम (DSA)

मेन्स के लयः

डजिटल सेवा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी नयिम 2021, भाषण और अभवियक्तकी स्वतंत्रता, नीतयों के डज़ाइन एवं कार्यानवयन से उत्पन्न मुद्दे, सरकारी नीतयों और हस्तक्षेप

चर्चा में कयों?

डजिटल सेवा अधिनियम (DSA), एक ऐसा कानून जो ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित है और क्षेत्र के सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स नयिमों को अद्यतन करता है, को [यूरोपियन संघ \(EU\)](#) का अंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

डजिटल सेवा अधिनियमः

■ वषयः

○ जैसा कयूरोपीय संघ आयोग द्वारा परभाषित कयि गया है, DSA "एकल बाज़ार में बचौलयों के दायतवों और जवाबदेही पर सामान्य नयिमों की एक सारणी" है तथा यूरोपीय संघ के सभी उपयोगकर्त्ताओं के लयि उच्च सुरक्षा सुनश्चिति करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो।

■ उद्देशयः

○ जब उपयोगकर्त्ता सामग्री को मॉडरेट करने की बात आती है तो DSA बचौलयों, वशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को सख्ती से नयितरति करेगा।

डजिटल सेवा अधिनियम की वशेषताः

■ सामग्री को तीव्रता से हटाने और चुनौती देने के प्रावधानः

- अद्यतन के हसिसे के रूप में सोशल मीडिया कंपनयों को अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री को "तेज़ी से हटाने के लयि नए प्रावधानों" को जोड़ना होगा।
- उन्हें उपयोगकर्त्ताओं को यह भी समझाना होगा कयिनकी कंटेंट टेकडाउन पॉलिसी कैसे काम करती है।
- DSA उपयोगकर्त्ताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा लयि गए टेकडाउन नरिणयों को चुनौती देने और अदालत के बाहर मामले का नपिटारा करने की अनुमति देता है।

■ बड़े मंचों की बड़ी ज़मिमेदारीः

- यह अधिनियम "सभी के लयि एक समान" की बजाय कंपनयों के आकार के आधार पर उनकी ज़मिमेदारयों का नरिधारण करता है।
- DSA के तहत यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं वाले प्लेटफॉर्म जैसे- 'वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस' (VLOP) और 'वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन' (VLOSE) के लयि नयिम पर्याप्त सख्त होंगे।

■ सीधे यूरोपियन आयोग द्वारा नगरानीः

- यूरोपीय आयोग इन आवश्यकताओं और उनके प्रवर्तन की केंद्रीय नगरानी के लयि ज़मिमेदार होगा।

■ एल्गोरदिम के कारयों में अधिक पारदर्शिताः

- VLOPs and VLOSEs पारदर्शिता नयिमों और एल्गोरदिम परीक्षण के अधीन होंगे।
- अपने उत्पादों के सामाजिक प्रभावों के संबंध में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लयि, इन प्लेटफॉर्मस को प्रणालीगत ज़ोखमि वश्लेषण करने की आवश्यकता होगी।
- अनुपालन का आकलन करने और गैरकानूनी या हानिकारक सामग्री के प्रणालीगत ज़ोखमि का पता लगाने के लयिशोधाकर्त्ताओं और नयिमकों दोनों के पास VLOP के डेटा तक पहुँच होनी चाहयि।
- VLOP को नयिमकों को अनुपालन का आकलन करने के लयि अपने डेटा तक पहुँचने की अनुमति देनी चाहयि और शोधाकर्त्ताओं को अवैध

या हानिकारक सामग्री के प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करने के लिये अपने डेटा तक पहुँच प्रदान करनी चाहिये।

- वजिजापनों के लिये स्पष्ट पहचानकर्त्ता और भुगतानकर्त्ता:
 - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उपयोगकर्त्ता आसानी से वजिजापनों की पहचान कर सकें और समझ सकें कि वजिजापन कौन प्रस्तुत करता है या भुगतान करता है।
 - उन्हें नाबालगों के प्रति निर्दिशति या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा पर आधारित वैयक्तिकृत वजिजापन प्रदर्शति नहीं करने चाहिये।

यूरोपीय संघ के DSA की तुलना भारत के ऑनलाइन कानूनों से:

▪ सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021 (IT नयिम):

◦ परिचय:

- फरवरी 2021 में भारत ने [सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021 \(IT नयिम\)](#) के रूप में अपने सोशल मीडिया नयिमों में व्यापक बदलावों को अधिसूचित किया था, जिसने मेटा और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण उचित परिश्रम आवश्यकताओं को रखा था।
- इनमें कानून परिवर्तन अनुरोधों और उपयोगकर्त्ता शिकायतों को संभालने के लिये प्रमुख कर्मियों को नियुक्त करना, कुछ शर्तों के तहत सूचना के पहले परिवर्तक की पहचान को संक्षम करना एवं कुछ प्रकार की सामग्रियों की पहचान करने के लिये सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करना शामिल था।
- सबसे विवादास्पद प्रस्तावों में से एक सरकार समर्थित शिकायत अपीलीय समितियों का निर्माण है, जिनके पास प्लेटफॉर्म द्वारा लिये गए कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार होगा।

◦ कानून पर आपत्ति:

- सोशल मीडिया कंपनियों ने IT नयिमों के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है और व्हाट्सएप ने एक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि संदेश के पहले परिवर्तक का पता लगाना आवश्यक है।
- परिवर्तक का पता लगाने के लिये प्लेटफॉर्म की आवश्यकता का एक कारण यह हो सकता है कि यदि उपयोगकर्त्ता ने अपने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री साझा की है।
- हालाँकि व्हाट्सएप ने आरोप लगाया है कि परिवर्तक का पता लगाना आवश्यक होने पर प्लेटफॉर्म पर एन्क्रिप्शन सुरक्षा को कमजोर कर देगी और लाखों भारतीयों के व्यक्तिगत संदेशों से समझौता कर सकती है।

▪ IT अधिनयिम, 2000:

- भारत अपनी प्रौद्योगिकी नीतियों के पूर्ण परिवर्तन पर भी काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही यह [IT अधिनयिम, 2000](#) के प्रतिस्थापन के साथ सामने आएगा।
- अन्य बातों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नेट न्यूट्रैलिटी और एल्गोरिदम जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विचार किये जाने की उम्मीद है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)